

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :-

परवता अंचल अन्तर्गत जोरावरपुर पंचायत के नया गाँव शिरोमणी टोला में दिनांक-27.07.2015 को जातीय विरोधाभाव से घटित घटना में पीड़ित परिवार को विभागीय संकल्प सं0-4624 दिनांक-16.05.2012 एवं संकल्प सं0-8960 दिनांक-30.09.2013 में निहित प्रावधानन्तर्गत अनुग्रह अनुदान की राशि ₹ 2,82,830/- (दो लाख बेरासी हजार आठ सौ तीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, खगड़िया के स्वीकृत्यादेश सं0-504/आ0प्र0 दिनांक-23.11.2015 एवं पत्रांक-09/आ0प्र0 दिनांक-13.1.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, खगड़िया को पूर्व में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, खगड़िया को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, खगड़िया को कुल आवंटित राशि।
₹ 38.64.000/- (अड़तीस लाख चौसठ हजार) रुपये मात्र	₹ 2,82,830/- (दो लाख बेरासी हजार आठ सौ तीस रुपये) मात्र	₹ 41.46.830/- (एकतालिस लाख छियालिस हजार आठ सौ तीस) रुपये मात्र

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 2,82,830/- (दो लाख बेरासी हजार आठ सौ तीस रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0004-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड संख्या- N2235602000004 के विषय शीर्ष -31 02 -अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- जिला पदाधिकारी, खगड़िया कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।
- उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, खगड़िया होंगे।
- उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, खगड़िया से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, खगड़िया की होगी।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
7. जिला पदाधिकारी, खगड़िया का यह दायित्व होगा की भुगतान की गयी राशि का व्यय-विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/
सरकार के विशेष सचिव
पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-18/2015...../

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-18/2015...../

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, खगड़िया /वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-18/2015...../

प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-21/3/ 2016

ज्ञापांक-ए/मु0-44-18/2015-2945...../

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.16

सरकार के विशेष सचिव

Chale
21/3